(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-3003-दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-06-2015 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील उंचेहरा, जिला-सतना का प्रकरण क्रमांक 59/ए-70/2013-14

.....

शैलेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री राघवेन्द्र सिंह
निवासी- नरहठी, तहसील उंचेहरा,
जिला-सतना (म.प्र.)

----------आवेदक

विरूद्ध

1- राजपाल शर्मा तनय श्री रामसुजान शर्मा
निवासी-ग्राम नरहठी, तहसील उंचेहरा,
जिला-सतना (म.प्र.)

2- वीरेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री शिवबख्श सिंह
निवासी-ग्राम नरहठी, तहसील उंचेहरा,
जिला-सतना (म.प्र.)

----------अनावेदगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक राजपाल शर्मा ने तहसीलदार उंचेहरा के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया कि

आराजी क्रमार 582/1 रकबा 4 बिस्वा स्थित ग्राम नरहठी तहसील उचेहरा पर कब्जा दिलाया जावे। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर संबंधित को कारण बताओ नोटिस किया जाकर दिनांक 30-06-15 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त् किया और प्रकरण जवाब हेतु नियत की तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 30-06-15 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का सहखाते की भूमि थी। प्रश्नाधीन भूमि का प्रकरण क्रमांक 24/ए-12/2011-12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27-07-12 के द्वारा आवेदक काबिज है। आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उसके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया । परंतु तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटी की है।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय में 250 की कार्यवाही प्रचलित है जहॉ पर मात्र आवेदक के आपत्ति आवेदन को निरस्त किया है। दोनों पक्षों को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अत: निगरानी निरस्त की जावे ।

5/ उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने विचारण न्यायालय में उसके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही से मुक्त होने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर दोनों पक्षों को सुनने एवं बटवारा पुल्ली के अवलोकन उपरांत यह पाते हुये सहखातेदारों के मध्य पूर्व में यह बटवारा हो चुका है । तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आवेदक को 250 की कार्यवाही में महत्वपूर्ण पक्षकार मानते हुये पाया कि निगरानीकार महत्वपूर्ण पक्षकार है, जिसे अकारण विलोपित नहीं किया जा सकता। अत: अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के नाम विलोपित करने संबंधित आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटी नहीं की है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय में प्रकरण जवाब हेतु मियत है, जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

27/6/18

(आर.के. मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,